

फर्द अहकाम

(नियम 26)





अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर


जिला हनुमानगढ

रवि कुमार बनाम रघुवीर आदि

किरम मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 42/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
10.03.2023	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>प्रार्थी को इकतरफा सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण, रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 395/377 के खसरा नं० 1274/1686 की कुल 78.4430 हैक्टेयर वाद भूमि को आगामी तारीख पेशी तक रहन, बैय, मुंतकिल न करे। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा विरासतन नामा०, मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगी। प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें। पत्रावली वास्ते तलवी अप्रार्थीगण दिनांक : 10/04/2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ) </p>	
10/4/23	<p>कमील जमाने उपस्थित। अर्जी 102 की अर्ज के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई। कमील अर्जी 102 के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई जो शामिल फावली है। अप्रार्थीगण की वकीली हेतु रजि. फर्म पेश की गई है। पत्रावली 10/4/23 को पेश की गई।</p> <p style="text-align: center;">  </p>	
27/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अर्जी 102 के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई। अर्जी 102 के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई। अर्जी 102 के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई।</p>	
19/5/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अर्जी 102 के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई। अर्जी 102 के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई। अर्जी 102 के अन्तर्गत पत्रावली पेश की गई।</p>	<p style="text-align: right;">   </p>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तारीख जारी हुआ
	<p>कार्यवाही नहीं हुआ चार है। रवारीन फरमसे। आधीन पत्र का अवलोकन किया। न्याय दिये कि आधीन पत्र स्वीकार दिया जाय अनुवाची आधीन पत्र रवारीन किया जाय है फलवली नष्ट के इस छोड़ बाद तकरीबन सबलक उपलब्ध है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्डाधिकारी (राजरा) नोहर (हनुमानगढ़) </p>	